भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3110
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

नौकरियों की संख्या में कमी

3110. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में अभूतपूर्व 9 मिलियन नौकरियां कम हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी की चिंताजनक स्थिति को रोकने के लिए प्रस्तावित नए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% था। जिसमें 2018-19 में अखिल भारत स्तर पर 47.3% की वृद्धि हुई। देश में उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों हेतु रोजगार अवसर सृजित करना शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

अनुबंध –I

नौकरियों की संख्या में कमी के बारे पूछे गए लोक सभा के दिनांक 15-03-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) आयु समूह: 15 वर्ष एवं उससे अधिक

(% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पीएलएफएस *	
		2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	57.2	54.8
2	अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9
3	असम	43.7	43.4
4	बिहार	35.5	36.4
5	छत्तीसगढ़	62.4	61.2
6	दिल्ली	42.7	44.5
7	गोवा	42.9	45.9
8	गुजरात	47.4	49.7
9	हरियाणा	41.7	41.9
10	हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9
11	जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9
12	झारखंड	41.7	44.9
13	कर्नाटक	49.1	49.3
14	केरल	41.2	44.9
15	मध्य प्रदेश	54.3	52.3
16	महाराष्ट्र	50.5	50.6
17	मणिपुर	42.5	44.3
18	मेघालय	62.3	61.8
19	मिजोरम	46.4	45.6
20	नागालैंड	32.8	38.1
21	ओडिशा	44.9	47.6
22	पंजाब	42.9	44.2
23	राजस्थान	48.2	50.0
24	सिक्किम	58.7	61.1
25	तमिलनाडु	51.0	51.4
26	तेलंगाना	49.8	50.6
27	त्रिपुरा	42.0	41.9
28	उत्तराखंड	40.6	41.4
29	उत्तर प्रदेश	41.8	40.8
30	पश्चिम बंगाल	47.8	49.7
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1
32	चंडीगढ़	46.9	47.3
33	दादरा और नगर हवेली	66.3	68.6
34	दमन और दीव	63.2	55.1
35	लक्षद्वीप	34.4	29.5
36	पुडुचेरी	37.8	47.8
	अखिल भारत	46.8	47.3

स्रोतः * वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18, 2018-19 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।